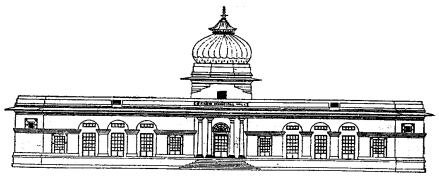

बीकानेर नगर निगम

लघुयन्त्रालय नियन्त्रण उपविधियॉ – 2010

राजस्थान नगरपपलिका अधिनियम 2009 (अधिनियम सं0 18 सन् 2009) की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (जे) के उपखण्ड (IV) (V) (VII) संपठित धारा 282 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद्, बीकानेर एतद् द्वारा निम्नलिखित उपविधियॉ बनाती है, नामतः–

1. lf{kIr uke] foLrkj ,o izHkkoh&

(क) ये उपविधियॉ बीकानेर नगर निगम (लघुयन्त्रालय नियन्त्रण) उपविधियॉ 2010 कहलाएगी।
(ख) ये उपविधियॉ बीकानेर नगर निगम की सीमा मे लागू होंगी।
(ग) ये उपविधियॉ तत्काल प्रभावशील होगीं।

2- ifjHkk"kk;h& जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अर्थ अपेक्षित न हो इन उपविधियों प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शब्दों की परिभाषाऐं निम्न प्रकार व्यवहन होंगी। निम्नांकित शब्दों के अतिरिक्त इन उप–विधियों में प्रयूक्त शब्दों की परिभाषा वही होगी जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम.2010 मे व्यवहत है।

1. ''अनुज्ञापत्र से तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञापत्र से है।
2. ''अनूज्ञा प्राधिकारी'' से तात्पर्य इन उपविधियां के प्रयोजनार्थ Health and sanitation committee से है।
3. '' अनुज्ञाधारी'' से तात्पर्य अनुज्ञापत्र के धारक से है।
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त से है।
5. '' अभियंता'' से तात्पर्य नगर निगम का अभियन्ता से है।
6. ''स्वास्थय अधिकारी'' से तात्पर्य है नगर निगम का स्वास्थय अधिकारी ।
7. ''निगम'' से तात्पर्य बीकानेर नगर निगम से है।
8. ''परिशिष्ट'' से तात्पर्य इन उपविधियों के अनुलग्न परिशिष्ट से है।
9. ''यन्त्रालय से तात्पर्य है लघु यन्त्रालय जिसमें 9 या 9 से कम व्यक्ति बिजली, डीजल पेटोल भाप गैस या इसी प्रकार की अन्य शक्ति द्वारा चालित मशीन की सहायता से उन वस्तुओ तथा कार्य प्रतिक्रियाओं के जो परिशिष्ट की सारणी 'क'' में अंकित है, कार्य करते हों । (उक्त सारणी समय समय पर निगम द्वारा संशोधित की जा सकेगी।)
10. ''वर्ष'' से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त हो सकेगा।
11. ''अधिनियम'' से अभिप्रेरित राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 (राजस्थान अधिनियम 18 सन् 2009) से है।
12. ''प्रपत्र'' से अभिप्रेरित इन उपविधियों के संलग्न प्रपत्र से है।
13. ''स्वामी'' से तात्पर्य सेवक, प्रबन्धक, अधिशासी अथवा काबिज सम्मिलित है।

3- fcuk vuKki= d LFkku dk i;kx ugh& कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किएः–

(क) न तो किसी स्थान पर यंत्रालय लगायेगा और
(ख) न लगे हूए यंत्रालय को चालू रख सकेगा।

4- vuKki= d fy, ikFkuk i= vkfn:–

(क) अनुज्ञार्थी अनुज्ञापत्र चाहने के कम से कम 30 दिन पूर्व :–

(1) परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' में आवश्यक और सही सही ब्यौरा देते हूए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रार्थना पत्र का प्रपत्र नगर परिषद् कार्यालय में 20/रू के मूल्य पर प्राप्त होगा।

(2) प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित यन्त्रालय के नक्शे की (जिसमें स्थान की स्थिति, सीमा, लगाई जाने वाली मशीन की स्थिति आदि का अंकन होगा) तीन प्रतियॉं प्रस्तुत करेगा, जिसमें शौचालय, भण्डार गृह और जलोत्सारण व्यवस्था आदि की स्थिति स्पष्ट तथा दिग्दर्शित की जावेगी, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपविधियों के प्रवर्तनशील होने से पुर्व ही यदि कोई यंत्रालय स्थापित है तो उसका स्वामी इन उपविधियों के प्रवर्तनशील होने की तिथी से 30 दिवस की अवधि में अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतू उपविधि 4(1) के प्रावधानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) उपर्युक्त के अलावा अनुज्ञज्ञ प्राधिकारी जो भी जानकारी ब्यौरा आदि जिस रूप में भी जब भी निर्देशित करें, अनुज्ञार्थी निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

5- vkifRr vkea=.k %&

(क) उपर्युक्त उपविधि 4 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदि प्राप्त होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' में नोटिस उक्त प्रस्तावित यंत्रालय से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से आपत्ति आमंत्रणनार्थ प्रसारित करेगां। इस सूचना पत्र में आपत्तियॉं प्रस्तूत करने की न्यूनतम अवधि 10 दिवस दी जावेगी।

(ख) उक्त नोटिस की एक एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड, एक प्रति जिलाधीश, एक बोर्ड के सेनीटरी इन्सपैक्टर के कार्यालय और दो प्रतियॉं प्रस्तावित यंत्रालय के निकट सहजगोचर स्थानों पर लगाई जाएगी।

6.

(क) उपविधि 6 में प्रस्तारित सूचना पत्र ''ग'' में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रस्तावित यंत्रालय की स्थापना हेतू अनुज्ञापत्र निर्गमित किये जाने के औचित्य व स्थान की उपयुक्तता के संबंध में स्वास्थय अधिकारी की संपत्ति प्राप्त करेगा और स्वास्थय अधिकारी जितना शीघ्र संभव हो सके अपनी सकारण राय देगा।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी उक्त प्रयोजनार्थ स्थान की उपयुक्तता और अनुज्ञापत्र के औचित्य के संबंध में ं अपनी राय देते समय निम्न बातों पर भी विचार करेगा।

(1) स्थान और उस पर बनी इमारत में हवा, रोशनी की समुचित व्यवस्था।

(2) मशीन आदि के लग जाने पर कामगारों और ग्राहकों के आगमन और घूमने फिरने के लिये पर्याप्त स्थान तथा यंत्रालय में प्रयोग की जाने वाली सामग्री तथा समान आदि को उतारने, चढाने आदि के पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं।

(3) प्रस्तावित यंत्रालय के स्थान के आस पास सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, कूडा–करकट आदि ऐसी दिशाओं में या समीप नहीं है जिससे कि यंत्रालय में गंदगी हो और उसका वातावरण दूषित होने की संभावना हौ

(4) अन्य कोई ऐसी बात नही है जिससे कि जन सामान्य के स्वास्थय हित को दृष्टि में रख यंत्रालय के लिए अनुज्ञापत्र की मनाही की जाए।

(5) उपविधी 5 के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों का औचित्य पर टिप्पणी।

(ग) स्वास्थय अधिकारी आवश्यकता होने पर अनुज्ञार्थी से उपर्युक्त बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य जानकारी के लिए अनुज्ञापत्रों की मनाही की जाए।

7- vfHk;rk dh jk;%&

(क) मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी की राय प्राप्त होने पर समस्त पत्र आदि अभियंता के पास भेज कर उक्त स्थान पर यंत्रालय के लिए अनुज्ञापत्र देने के औचित्य पर राय प्राप्त करेगा और अभियता जितना शीघ्र संभव हो सके अपनी सकारण राय देना।

(ख) अभियंता उक्त प्रयोजनार्थ स्थान की उपयुक्तता और अनुज्ञापत्र के औचित्य के संबंध में अपनी राय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हूए देगा।

1. स्थान पर इस प्रयोजनार्थ बनी इमारत यंत्रालय संचालनार्थ पर्याप्त रूप से सुदृढ है
2. मशीनों के चारों और ऐसी पर्याप्त सुरक्षा कर रखी है किससे कि जान माल को सामान्यतया कोई खतरा नही है।
3. अन्य कोई ऐसी बात नही है जिससे कि पडोसियों के जान माल की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यंत्रालय के लिए लाइसेसं देने की मनाही की जाए।
4. उप विधी 5 के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों का औचित्य ।
5. अभियंता आवश्यक होने पर अनुज्ञार्थी से उपयुक्रत बिन्दूओं के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

8- vuKk ikf/kdkjh dk fu.k;%&

(1) उपविधि 6 व 7 में संपत्ति प्राप्त होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्वयं को इस बात के लिए आश्वस्त करेगा किः–

(1) प्रस्तावित यंत्रालय के स्थल के लिये अनुज्ञापत्र निर्गमित किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। यदि वह स्वास्थ्य अधिकारी अथवा अभियंता की सम्मति से आश्वस्त है तो असहमति के कारणों का उल्लेख करेगा।

(2) प्रश्नांकित स्थल पर यंत्रालय स्थापित किये जाने के पश्चात उसकी स्थिति व प्रयोग से आस पडौस को किसी प्रकार का अनुत्रास (Nuisance) नही है।

(3) प्रश्नांकित सिल पर यंत्रालय स्थापित किये जाने के पश्चात् जीवन, स्वास्थ्य, या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा।

9- vuKk ikf/kdkjh dk fu.k;%&

(1) यंत्रालय में 50 मीटर की परिधी में किसी प्रकार का शिक्षण या चिकित्सा का कार्य नही होता है तथा कोई सार्वजनिक कार्यालय नही है। वह यह भी सूनिश्चित करेगा कि यंत्रालय के समीप कोई शौचालय, मुत्रालय या गन्दे पानी की सार्वजनिक कुडियॉ नही है तथा उसका कोई दूषित व्यापार नही होता है जिससे भयानक गैस उत्पन्न होती है।

(2) अनुज्ञा प्राधिकारी अपने आपको आश्वस्त कर लेने के बाद यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित स्थल को यंत्रालय के रूप में प्रयुक्त किये जाने हेतु अनुज्ञापत्र निर्गमित किया जावे अथवा नहीं। यदि अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र निर्गमित किये जाने का निर्णय किया जाता है तो अनुज्ञार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने का आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा ऐसा निर्धारित शूल्क जमा करा दिये जाने पर प्रपत्र संख्या ''घ'' में अनुज्ञापत्र निर्गमित करेगा। परन्तु शुल्क जमा कराये जाने के आदेश से एक माह की अवधि में अनुज्ञापत्र निर्धारित शूल्क जमा करवाने में अकारण असफल रहता है तो उसका प्रार्थना पत्र पत्रित किया जा सकेगा।

(3) यदि अनुज्ञा प्राधिकारी प्रस्तावित स्थल को यंत्रालय के रूप प्रयुक्त किये जाने के बारे में आश्वस्त नही होता है तो वह लिखित में कारण अभिलेख करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देगा तथा जो दोष हो उन्हें यथोचित समय में जेा उन द्वारा निर्दिष्ट किया जावे दूर किये जाने हेतु अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा तथा निर्दिष्ट समयावधि में अनुज्ञार्थी द्वारा दोष दूर नही किये जावे तो प्रार्थना पत्र स्वतः अस्वीकृत समझा जावेगा।

10- vuKki= dh 'kr%&

(क) अनुज्ञा प्राधिकारी यदि अनुज्ञापत्र देने का निर्णय करे तो निम्न लिखित सामान्य शर्तो पर परिशिष्ट प्रपत्र ''घ'' में अनुज्ञापत्र देगाः–

1. अनूज्ञाधारी अनुज्ञापत्र को कॉच में जडाकर यंत्रालय सीमा में सहगोचर स्थान पर और स्थिति में टॉगे रखेगा।
2. अनुज्ञाधारी नगर निगम के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियंता, राजस्व अधिकारी तथा इनके द्वारा किसी मामले में विशेष प्राधिकृत कर्मचारी तथा सेनेटरी एवं रेवेन्यू इंसपैक्टर के मॉग करने पर रिकार्ड बताऐगा, आवश्यक जानकारी देगा और यंत्रालय के निरीक्षण की सुविधायें देगा।
3. अनुज्ञाधारी यंत्रालय में ऐसे व्यक्ति को काम पद नही लगाायेगा और न ही रहने देगा जो छूआछूत की बीमारी से पीडित हो। जो किसी मान्यता प्राप्त डाक्टर या प्राधिकृत औषधालय द्वारा प्रमाणित कर दिया गया हो।
4. अनुज्ञाधारी यंत्रालय की परिधी को साफ सूथरा रखेगा।
5. अनुज्ञाधारी यंत्रालय में केवल वही निर्माण व प्रक्रिया करेगा जिसके लिए कि वह लाइसेस है अन्य निर्माण व प्रक्रिया नही करेगा और न ही यंत्रालय परिधी में अन्य किसी प्रकार का व्यापार अथवा धंधा करेगा तथा मशीनों के हार्स पावर में परिवर्तन करेगा।
6. अनुज्ञाधारी ज्योंही यंत्रालय बंद करें तो, तुरन्त ही ऐसा करने की लिखित सूचना अनुज्ञाप्राधिकारी को देगा।
7. अनुज्ञाधारी यदि अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराना चाहे तो, लाइसेंस की अवधि समाप्ति के पूर्व 30 दिन की अवधि के भीतर भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
8. अनुज्ञाधारी यदि उक्त अवधि के बाद नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र दे तो सामान्य अनुज्ञापत्र शुल्क के अलावा उपविधियों में निर्दिष्ट दर से विलंब शुल्क भी देगा।
9. अनुज्ञाधारी यदि अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लगंन करे तो परिषद् द्वारा अनुज्ञापत्र को निलम्बित निरस्त किया जा सकेगा।
10. यंत्रालय में हवा व प्रकाश के आवागमन के पर्याप्त साधन रखे जावेगें।
11. यंत्रालय के यंत्र पर सदैव ध्वनि अवरोधक (साइलेन्सर) रखा जावेगा ताकि यंत्र से किसी प्रकार का शोर नही हो।
12. यंत्रालय में निर्धारित स्टेण्डर्ड माप तोल ही काम में लिये जावेगें।
13. यंत्रालय के बाहर किसी सहगोचर स्थान पर हिन्दी या स्थानीय भाषा में अपने व्यवसाय की दरों तालिका टॉक कर रखी जावेगी।
14. यंत्रालय में ऐसे कोई व्यर्थ पदार्थ नही रखें जावेगें जिसमें अग्नि प्रज्वलित होने या गैस बनाने की संभावना है।
15. यंत्रालय में अग्नि शमन के लिए कम से कम पॉच पानी के पात्र रेत के भरे हूए पात्र अथवा अग्नि शमनक गैस यंत्र अनिवार्य रूप में रखे जावेगें।
16. यंत्रालय में पॉच या अधिक कर्मचारी नियोजित होने पर शौचालय की व्यवस्था की जावेगी
17. यंत्रालय की फर्श की दीवारो का एक माह में कम से कम दो बार कीटाणूनाशक पदार्थो से स्वच्छ किया जावेगा।
18. अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दिये गये र्निदेशों का पालन किया जावेगा।

सक्षम दण्ड नायक के सक्षम परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर उपविधि सं0 18 के उपबंधो के अुसार दण्डित किया जावेगा।

(ख) अनुज्ञा प्राधिकारी उपर्यूक्त सामान्य शर्तो के अलावा, यंत्रालय के प्रयोजन, स्थिति विशेष आकार उसके संचालन में प्रयुक्त ईधन के प्रकार आदि बातों को दृष्टि में रखते हुए उक्त यंत्रालय और उसके द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्थन के प्रयोग के नियमनार्थ, विशेष शर्ते भी लाइसेंस के साथ लगा सकेगा।

(ग) ऐसी विशिष्ट शर्तो से अनुज्ञार्थी को यदि एक बार लिखित रूप में सूचित कर दिया जावे तो वह शर्त अनुज्ञार्थी को दिये जाने वाले अनुज्ञापत्र मे और समय समय पर नवीनीकरण किये जाने के रूप में अलग से अंकित न होने पर भी इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ जब तक कि अन्यथा र्निदेश न दिया जाये, उक्त अनुज्ञापत्र और उसके नवीनीकरण के रूप का अंग बनी हुई मानी जावेगी और मानी जाती रहेगी, तथा उसका अनुपालन अनुज्ञाधारी पर उसी प्रकार बाध्य होगा जिस प्रकार कि लाइसेस में लिखित किसी शर्त का।

11- vuKki= uohuhdj.k&

(क) अनुज्ञाधारी मूल अनुज्ञापत्र नगर परिषद् को लौटाते हुए अनुज्ञा के नवीनीकरणार्थ परिशिष्ट के प्रपत्र 'ड में प्रार्थना पत्र देगा।

(ख) अनुज्ञाप्राधिकारी नवीनीकरण के पूर्व यदि उचित और आवश्यक समझे तो यंत्रालय का निरीक्षण कर सकेगा या उसके संबंध में आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा।

(ग) (1) निर्गमित अनुज्ञापत्र की अवधि अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगी जो प्रत्येक अवस्था में 31 मार्च को समाप्त हो जावेगी चाहे अनुज्ञापत्र वर्ष के किसी भी भाग में निर्गमित की गई हो।

(2) अनुज्ञापत्र की अवधि के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक है। अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विलम्ब शुल्क देय होगा। नगर निगम से अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने पर नगर निगम निम्नानुसार कार्यवाही करेगी।

12 vuKki= dh vof/k e fufj{k.k&

(1) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तो का समुचित अनुपालन कर रहा है स्थान ,भवन, मशीनें, आदि का समूचित रख रखाव हो रहा है, आदि बातों की देखभाल करते रहने के लिए अनुज्ञा प्राधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अभियंता, राजस्व अधिकारी , राजस्व निरीक्षक, अनुज्ञापत्र अवधि के दौरान यंत्रालय का निरीक्षण समय समय पर करते रहेगें।

(2) अनुज्ञाधारी यंत्रालय भवन में सदैव एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जो अनुज्ञाप्राधिकारी, स्वास्थय अधिकारी तथा नगर निगम द्वारा एतद् प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी अनुज्ञापत्रित स्थान के वाणिज्यिक भवन, यंत्र व यात्रिंक व्यवस्था अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट शर्तो व निवंधनों आदि के बारें में अपना निरीक्षण , प्रतिवेदन अनुज्ञा प्राधिकारी को देगा जो उस पर नियमानूसार कार्यवाही करेगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की एतदर्थ रखी गई निरीक्षण पूस्तिका में भी अंकित किया जावेगा।

(3) अनुज्ञाधिकारी निरीक्षण के समय उक्त निरीक्षण प्राधिकारीयों को निरीक्षण हेतू प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा।

(4) जब कभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, तथा निगम द्वारा एतद् प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि अनुज्ञाधारी इन उपविधियों का उल्लघंन कर रहा है या उनका भली प्रकार अनुपालन नही कर रहा है, तो अनुज्ञाधिकारी ऐसे निर्देश दे सकेगें जो इन उपविधियों के अनुपालन हेतू आवश्यक हों तथा अनुज्ञाधारी द्वारा ऐसे दिये गये निर्देशों का तत्काल पालन किया जावेगा।

परन्तू अनुज्ञाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी यदि अनुज्ञाधारी द्वारा उनका पालन नही किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध इन विधियों के अन्तर्गत तथा नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

13 'kYd &

(क) अनुज्ञापत्र जारी करते समय या उसका नवीनीकरण करते समय अनुज्ञार्थी द्वारा निम्नलिखित दर से शुल्क देय होगाः–

(1) यदि नगरपालिका अधिनियम 2009 के तथा इस उपविधि के अन्तर्गत प्रथम बार अनुज्ञापत्र जारी किया जा रहा है तो यंत्रालाय की मशीन के प्रति हार्स पावर पर 100/रू मात्र की दर से अनुज्ञा शूल्क । और जिस यंत्रालय में मशीन का उपयोग नहीं है, उसके लिए अनुज्ञा शुल्क 300/– रू. प्रति वित्तीय वर्ष।

(2) अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिये यंत्रालय की मशीन के प्रति हार्सपावर या उसके अश पर 100/रू प्रति वर्ष या उसके कालाशं के लिए अनुज्ञा शुल्क । यह शुल्क 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये अथवा उसके किसी भाग के लिए होगा तथा प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा। जिस यंत्रालय में मशीन का उपयोग नहीं है, उसके लिए अनुज्ञा शुल्क 300/– रू. प्रति वित्तीय वर्ष।

(3) अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण पर, यंत्रालय की मशीन के प्रति हार्स पावर 100/रू की दर से हस्तांतरण शुल्क।

(4) निर्धारित अवधि के बाद अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराने का विलम्ब अवधि के प्रति दनि प्रति हार्स पावर या उनके किसी अंश पर 5/– रू विलंब शुल्क जो किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष में दये अनुज्ञा शुल्क से अधिक नहीं होगा।

(5) अनुज्ञापत्र के गूम हो जाने, फट जाने पर या विकृत हो जाने की अवस्था मे अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रतिलिपि 50/रू शूल्क के भूगतान पर निर्गमित की जा सकेगी।

(6) कोई भी शुल्क एक बार नगर निगम कोष में आकलित होने पर किसी भी स्थिती में वापसी योग्य नही होगा।

(ख) यदि एक ही मशीन को परिशिष्ट सारणी ''क'' में अंकित एक से अधिक प्रयोजन के लिए काम में ली जावें या एक ही यंत्रालय में एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं का या प्रक्रियाओं का अलग अलग मशीनों से निर्माण या संचालन हो तो, एक से अधिक प्रयोजन का मशीन के लिये प्रति प्रयोजन या संबंधित मशीन के प्रति हॉर्स पावर पर 50/रू अतिरिक्त वार्षिक शुल्क लिया जायेगा।

Li"Vhdj.k%& उक्त ''ख'' के प्रयोजनार्थ, एक ही यंत्रालय में एक से अधिक मशीनें हो तो उक्त ''क'' में अंकित दरें उस मशीन पर लगेगी जिसकी हार्स पावर क्षमता सबसे अधिक हो।

14- vuKki= dk gLrkUrj.k %&

1. अनुज्ञापत्र अहस्तांतरणीय होगा।
2. यंत्रालय के हस्तांतरण की अवस्था में अनुज्ञापत्र द्वारा अनुज्ञा प्राधिकारी के हस्तांतरण की तिथि से एक सप्ताह के भीतर यंत्रालय के अनुज्ञापत्र को समर्पित करते हुए लिखित में सूचना दी जावेगी तथा हस्तांतरण द्वारा उपविधि 13 में र्निधारित शुल्क का भुगतान कर नवीन अनुज्ञापत्र प्राप्त की जावेगी।

15- ;=ky; dh fLFkfr esa ifjorZu %&

1. यंत्रालय का स्वामी यदि यंत्रालय के भवन का परिवर्तन कर अन्य भवन में यंत्रालय को स्थापित करने की अपेक्षा करता है तो उपविधि 4 में नवीन रूपेण कार्यवाही करेगा तथा नवीन अनुज्ञापत्र प्राप्त किये जाने पर ही यंत्रालय का भवन परिवर्तन कर सकेगा।
2. यंत्रालय की स्थाई या अस्थाई रूप से बन्द किये जाने पर स्वामी द्वारा अनुज्ञा प्राधिकारी को तत्काल उसकी सूचना दी जाकर अनुज्ञा पत्र समर्पित किया जावेगा।
3. यदि अनुज्ञाधारी यंत्र की अश्व शक्ति में वृद्धि करना चाहता है, उसे अनुज्ञाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। लेकिन अनुज्ञाधिकारी ऐसी अनुमति देने से पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी, अभियंता एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दे सकेगा।
4. यंत्र की अश्व शक्ति में वृद्धि करने पर उपविधि 13 में निर्दिष्ट शुल्क की दरो से अतिरिक्त शुल्क जमा करवाया जाकर तदनुसार अनुज्ञापत्र में संशोधन किया जायेगा।

16- vuKkikf/kdkjh }kjk funs"k%&

1. इन उपविधियों में कोई बात न होते हुए भी अनुज्ञा प्राधिकारी इन उपविधियों की भली प्रकार कार्यान्वित के लिये यथोचित आदेश व निर्देश प्रसारित करने हेतु समक्ष होगें तथा अनुज्ञाधारी या यंत्रालय के स्वामी द्वारा उसका तत्काल पालन किया जावेगा।

2. विशेष असाधारण परिस्थितियों में जिनको लिखित में अभिलेखित किया जावेगा तथा जन सुरक्षा अथवा जन स्वास्थय के लिये उपयुक्त कारण होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा इन उप विधियों व निर्धारित शर्तो व निबन्धों में न्यूनता या वृद्धि जैसी भी अवस्था हो की जा सकेगी।

17- 'kkfLr;k&

जो कोई बिना किसी अनुज्ञप्ति के अथवा उसके निलम्बन के दौरान अथवा अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण के पश्चात किसी स्थान का उपयोग परिशिष्ट में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो 1000 रू से कम नही होगा किन्तु जो 2000 रू तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात ऐसा उपयोग जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए 100 रू से कम नही होगा किन्तु जो 500 रू तक का होगा, दण्डित किया जाऐगा

18- vfHk;ktu vkj le>krk %&

(क) इन उपविधियों के उल्लंघनकर्ता के विरूद्व न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करने के लिये नगर निगम अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी सक्षम होगा।
(ख) यदि उल्लघंनकर्ता और निगम चाहे तो उल्लघनकर्ता के विरूद्व अभियोजन प्रस्तुत करने के एवज में राजस्थान निगम अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार समझौता कर सकता है।

19- fujlu ,o lj{k.k %&

1. इन उपविधियों के प्रभाव में आने पर इस विषय के प्रचलित सभी नियम, उपनियम, आदेश निर्णय निरस्त हो जावेगें।
2. निरसित उपविधि के अन्तर्गत बनाये गये नियम, किये गये आदेश, दिये गये निर्णय, की गई कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20- vihy %& अनुज्ञा–प्राधिकारी के किस आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवश्यक समय को कम करके कलक्टर के यहॉ अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारियों को आदेश अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा।

21- fo'k"k %– इस उपविधि के अन्तर्गत जारी किए गये अनुज्ञापत्र को भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति के रूप में अंगीकार नहीं किया जा सकेगा।

परिशिष्ट
(सारणी क)

1. मांसावशिष्ट, रक्त, हड्ड्यिों, जानवरों की आंतो या चिथड़ो को उबालने या संग्रह के लिये
2. मछलियों को छॉटने, साफ करने या संग्रह करने के लिये
3. चमड़ो का शोधन करने के लिये
4. चमड़े के सामान को विनिर्माण करने के लिये
5. खालों, चमड़ो और सीगों का संग्रह करने के लिये
6. रंगाई के लिये
7. साबून बनाने के लिये
8. ऊन या बालों को धोने या सुखाने के लिये
9. तेल उबालने के लिये
10. चर्बी या गंधक पिघलाने के लिये
11. ईटों, मिटि् के बर्तनो, चूना या सुर्खी को जलाने या पकाने के लिये

12. सूखी घास, भूसा, चारा, लकड़ी, कोयला या अन्य ज्वलनशील प्रदार्थो का संग्रह करने के लिये
13. व्यवसाय के प्रयोजनार्थ अनाज का संग्रह करने के लिये
14. खान के रूप में
15. गाड़ियों के ठहरने के स्थान के रूप में
16. तेल मिल के रूप में
17. विद्युत शक्ति से या अन्य प्रकार की चलायी जाने वाली आटे की चक्की केरूप में
18. आसवनी (distillery) के रूप में
19. किसी अन्य प्रकार से कारखाने या कारोवार के स्थान के रूप में जहॉ से संतापकारी या अस्वास्थ्यकर गंध, धुम्र, कालिख या गर्द निकलती हो या जिसमें आग लगने का जोखिम हो
20. रूई, कपास ओटना, गाठें बनाना।
21. तेल निकालना।
22. रंगाई पॉलिस करना।
23. मोटर सर्विस करना, टायर रिट्रेडिंग करना।
24. बर्फ बनाना।
25. बैल्डिंग करना।
26. प्रिटिंग मशीन।
27. फर्नीचर बनाना।
28. अन्य वस्तुओं का निर्माण जो ऊपर अंकित न हो पाई हो।

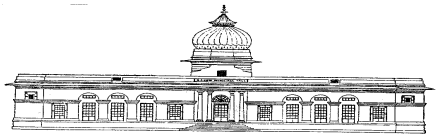

बीकानेर नगर निगम

प्रपत्र–ख

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नगर निगम बीकानेर

fo"k;%& ;=ky; LFkkiuk d fy, LFkku i;kx dh vuKk grq

महोदय,

मै, हम...नगर निगम की सीमा में एक लघु यंत्रालय स्थापना और संचालन के लिए निम्नलिखित स्थान का प्रयोग करना चाहते है/चाहता हुॅ। इस संबंध में आवश्यक ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

1. अनुज्ञार्थी काः–
   (क) नाम व पिता का नाम
   (ख) पूरा पता
   (ग) नगर

2. यंत्रालय प्रयुक्त होने वाले स्थान का पताः–
   (क) मौहल्ला

LFkku dk vklk&iklk

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम

3. यंत्रालय में निर्मित होने वाली वस्तु/होने वाली कार्य प्रक्रिया का ब्यौरा :
4. यंत्रालय की मशीन का ब्यौरा :–
   (क) नाम
   (ख) निर्माता
   (ग) मशीन नं.
   (घ) हॉर्स पावर
   (ड़) चालन शक्ति

5. अन्य कोई विशेष बातः–
   संबंधित नक्शे की तीन प्रतियॉ संलग्न है।

बीकानेर नगर निगम (लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियॉ, सन् 2010 अर्न्तगत जिन्हे मैने/हमने पढा/पढवा लिया/ और समझ लिया है। उल्लिखित स्थान का यंत्रालय हेतु प्रयोग करने की कृपया अनुज्ञा दें।

अनुज्ञार्थी के हस्ताक्षर

?kks"k.kk

मैं/हम अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के आधार पर घोषण करता हूॅ/करते है कि उपयुक्रत जानकारी सही और पूर्ण है।

बीकानेर नगर निगम

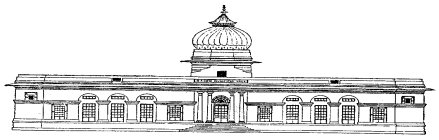

प्रपत्र ''ग''

ukfV l

vkifÙk vkea=.k

बीकानेर नगर निगम (लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियॉ सन् 2010 की उपविधि 5 के अंर्तगत यह नोटिस प्रसारित कर उन सभी व्यक्तियों को जो इस संबंध में प्रभावित हसे सकते है सूचित किया जाता है कि श्री.. निम्नलिखित ब्यौरे वाले स्थान का निम्नलिखित प्रयोजनार्थ एक लघु यंत्रालय स्थापित और संचालन/संचालित करने के लिए नगर निगम से अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करना चाहते है:–

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम

प्रयोजनार्थ...

जिसमें .... अश्व शक्ति विद्युत का उपयोग होगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार उक्त स्थान के लिए प्रयोग के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष इस नोटिस के प्रसारण के 15 दिन के भीतर भीतर प्रस्तुत करें

यह नोटिस आज... को मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय मुद्रा सहित प्रसारण किया गया।

e[; uxjikfydk vf/kdkjh@vk;qDr
chdkusj uxj fuxe

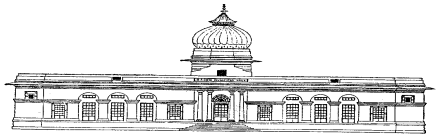

बीकानेर नगर निगम

प्रपत्र संख्या 'घ'

बीकानेर नगर निगम (लघु यंत्रालय नियंत्रण) उप–विधियॉ सन् 2010 के अंर्तगत निम्नलिखित शर्तो के अधीन यह अनुज्ञापत्र दिया जाता हैः–

1. अनुज्ञार्थी काः–
   (क) नाम
   (ख) पूरा पता

2. यंत्रालय प्रयुक्त होने वाले अनूज्ञप्त स्थान का पताः–

   (क) मौहल्ला

3. यंत्रालय में र्निमित होने वाली वस्तु/होने वाली कार्य प्रक्रिया का ब्यौराः

4. यंत्रालय की मशीन का ब्यौराः–
   (क) नाम
   (ख) निर्माता
   (ग) मशीन नं0
   (घ) हॉर्स पावर
   (ड़) चालन शक्ति

5. लाइसैसं की अवधिः– दिनॉक.................................से दिनॉक...............................तक
6. शुल्कः–

   (क) सामान्य शुल्क
   (ख) विलंब शुल्क
   (ग) अन्य शुल्क

....

योग ....

अक्षरो में ....

e[; uxjikfydk vf/kdkjh@vk;Dr
chdkuj uxj fuxe

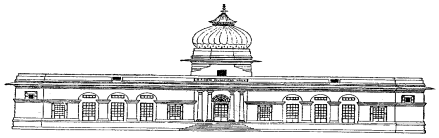

बीकानेर नगर निगम

प्रपत्र ''ड''

अनुज्ञा प्राधिकारी,
बीकानेर नगर निगम,

विषयः— अनुज्ञापत्र नवीनीकरण।

अनुज्ञा संख्या   दिनॉक ....

महोदय,

कृपया उपर्युकत अनुज्ञापत्र का एक वर्ष का दिनॉक..तक के लिये नवीनीकरण करें। यंत्रालय में मशीन की हार्स पावर .... है तथा उसमें निम्नलिखित वस्तूओं का निर्माण/कार्य प्रक्रियाऍं होंगी।

lyXu i=l= l[;k dh i=fr   vuqKkFkh d gLrk{kj
i rk --------------------------------